न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 100/2023

जीसीएमएस नम्बर : 2023/290

प्रार्थी:–

1. राजेन्द्र पुत्र गंगाराम उपाध्याय
2. जयकुमार पुत्र गंगाराम उपाध्याय
3. किशनचंद पुत्र गंगाराम उपाध्याय

जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण सांडिया सोजत हाल 88 पुलियामाराम वेपमटटु थिरूवेलोर चैन्नई 602024

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. घनश्यामलाल पुत्र भंवरलाल
2. हस्तीमल पुत्र भंवरलाल
3. विमलादेवी पत्नी जगदीशप्रसाद
4. हिरालाल पुत्र धनाराम जातिगण ब्राहम्ण निवासी सांडिया तहसील सोजत हाल मकान नम्बर 4 डॉक्टर सदाशिवम स्ट्रीट नोर्थ टी नगर चैन्नई 600067
5. ग्राम पंचायत सांडिया जरिये सरपंच तहसील सोजत जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भवानी सिंह जैतावत।

–: निर्णय :–

दिनांक : 21/04/205

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत सांडिया द्वारा मिसल संख्या 37/2015, संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.01.2016 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 32 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 5 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम सांडिया में प्रार्थीगण का पुश्तैनी मकान है जिसका पट्टा प्रार्थीगण के पिता के नाम बना हुआ है। उक्त मकान के चिपता हुआ अप्रार्थी का नोहरा है। उक्त नोहरा खुला भूखण्ड है तथा उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं है तथा ग्राम पंचायत ने उक्त भूखण्ड का नियम 157 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। इसके अतिरिक्त उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 3768 वर्ग फीट है जबकि पंचायती राज नियमों में केवल 2700 वर्ग फीट का ही प्रावधान है। जैर निगरानी पट्टे के मिसल पहले से साईक्लोस्टाईल में लिखी हुई है जिसमें उक्त पट्टे एवं अप्रार्थी से सम्बन्धित जानकारी बाद में अंकित की है। अन्तिम निर्णय की आदेशिका में दिनांक एवं रसीद संख्या का अंकन नहीं है। आवेदन पर केवल एक ही

अति. जिला कलेक्टर पाली

अप्रार्थी के हस्ताक्षर है, नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत ने मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों को नामित नहीं किया। आपत्ति ईश्तिहार कार्बन कॉपी में है तथा उस पर भी चस्पानगी रिपोर्ट अंकित नहीं है। बयान फार्मेट निर्धारित प्रारूप में है एवं गवाहान ने मौके पर प्लॉट बताया है। वर्तमान मौके के फोटोग्राफ्स अनुसार भी उक्त भूमि पर टिनसेड ही है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने न्यायालय हाजा में एक निगरानी हीरालाल बनाम राजेन्द्र व अन्य पेश की थी, जिसके प्रकरण संख्या 92/2023 थे। उक्त निगरानी याचिका में अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह स्वीकार किया कि जैर निगरानी पट्टे पर प्लॉट/बाड़ा है तथा उसके चारों तरफ चार दीवारी आज से करीब 40 वर्ष पूर्व बना रखी है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2019(2) DNJ (Raj.) 570 Issack Khan vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector, Jaisalmer & Ors., 2017(2) DNJ (Raj.) 668 Jabbar Singh Rajput vs State of Rajasthan Thro' Secretary Department of Panchayat Raj, Jaipur & Ors, 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Khusal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secretary Department of Panchayat Raj, Jaipur & Ors, 2017(2) DNJ (Raj.) 730 Mangilal Meghwal vs State of Rajasthan Thro' District Collector, Pali & Ors. पेश कर ग्राम पंचायत द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि मैने प्रार्थीगण के पट्टे को निरस्त करवाने हेतु एक निगरानी पेश की इसलिये प्रार्थीगण ने उसके विरूद्ध यह निगरानी पेश की है। मेरे मकान के सामने 100 फीट रास्ता था तथा प्रार्थीगण ने उस रास्ते पर अतिक्रमण कर अपना पट्टा बना दिया। जैर निगरानी पट्टे का आवेदन दिनांक 05.08.2015 को पेश किया गया, जिस पर पुश्तैनी कब्जा सुदा मकान लिखा हुआ है। जैर निगरानी पट्टे पर पूर्व में मेरा कच्चा केलूपोस का मकान था तथा अप्रार्थीगण बाहर रहते थे इस कारण वह मकान गिर गया था। वर्तमान में हम वहीं पर रह रहे है तथा प्रार्थीगण ने भी यह स्वीकार किया कि इनका टिनशेड बना हुआ है अर्थात् वह मेरा रहवासी मकान है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी करते समय गवाहों के बयान में सहवन से प्लॉट पर सही का निशान अंकित हो गया परन्तु वास्तव में वहां पर मकान है। इस सम्बन्ध में बयानकर्ता ने अपने शपथ पत्र में यह माना कि वहां पर मकान स्थित है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर 40–45 वर्ष पुराना कब्जा सुदा मकान है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पलाना करते हुये विधिवत् तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत सांडिया द्वारा मिसल संख्या 37/2015, संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.01.2016 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 32 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टा पंचायतीराज नियम 157 के तहत खाली भूखण्ड का जारी किया जबकि मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया हुआ

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त उज्र का खण्डन करते कथन किया कि अप्रार्थीगण का पूर्व में कच्चे पुराने केलूपोश के मकान थे जो बरसात में गिर गये थे तथा वर्तमान में अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर टिनशेड बनाकर निवासरत है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने भी अपने कथनों के समर्थन में हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी करते समय लिये गये गवाहों के बयान में बयानकर्ता बाबूलाल का शपथपत्र पेश किया। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स के तुलनात्मक अध्ययन से यह जाहिर है कि मौके पर केवल चारदिवारी एवं टिनशेड का निर्माण किया हुआ है तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा पूर्व में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत निगरानी संख्या 92/2023 बअनवान हीरालाल बनाम राजेन्द्र व अन्य में स्वंय ने यह तथ्य अंकित किया कि अप्रार्थीगण का जैर निगरानी पट्टा प्लॉट/बाड़ा है तथा उसके चारों तरफ चारदीवारी करीब 40 वर्ष पूर्व बना रखी है अर्थात् अप्रार्थी स्वयं के द्वारा यह स्वीकारोक्ति है कि प्रश्नगत भूखण्ड पर केवल चारदीवारी बनी हुई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 58 के अनुसार यदि किसी पक्ष ने किसी तथ्य को अदालत में स्वीकार कर लिया है, तो उस तथ्य को साबित करने के लिए सबूत देने की जरूरत नहीं होती। यह तथ्य स्वयं अप्रार्थीगण की स्वीकारोक्ति है, जिसके पश्चात किसी प्रकार के अतिरिक्त साक्ष्य की भी आवश्यकता नहीं रहती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Khusal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secretary Department of Panchayati Raj, Jaipur & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 157– पट्टा रद्द किया– क्षेत्राधिकारिता के सम्बन्ध में आपत्ति खारिज की– 534.41 वर्ग गज के सम्बन्ध में 200/– रूपये के लिये जारी किया–मौके पर केवल 10 X 8 का कमरा अस्तित्व में था– नियमों के उल्लंघन में जारी पट्टा अधिनियम की धारा 97 के अधीन रद्द किया जा सकता है– प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के दो जी.एल.आर. स्थापित थे– रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व्यथित व्यक्ति है– निर्णीत, याचिका में सार नहीं है व खारिज की। न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) DNJ (Raj.) 668 Jabbar Singh Rajput vs State of Rajasthan Thro' Secretary Department of Panchayati Raj, Jaipur & Ors. के अनुसार Rule 157 permits regularisation of old houses constructed over the abadi land of Gram panchayat and not the open plots. न्यायिक दृष्टान्त 2019(2) DNJ (Raj.) 570 Issack Khan vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector, Jaisalmer & Ors. के अनुसार Rule 157 of Rajasthan Panchayati Raj Rules not applied in case of vacant land. न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) DNJ (Raj.) 730 Mangilal Meghwal vs State of Rajasthan Thro' District Collector, Pali & Ors. के अनुसार Presence of old house at the spot is necessary for granting patt under Section 157 of the Rajasthan Panchayati Raj Act. उपरोक्त सम्पूर्ण न्यायिक दृष्टान्त अधिवक्ता प्रार्थीगण के कथनों का समर्थन करते है तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियम 157 के तहत खाली भूखण्ड का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिविरूद्ध है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण का प्रमुख उज्र दौराने बहस यह भी रहा कि ग्राम पंचायत ने नियम 157 के तहत अप्रार्थी को 3738 वर्गफीट का जैर निगरानी पट्टा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विधिविरूद्ध तरीके से जारी कर दिया जबकि पंचायतीराज नियम 157 में केवल 300 वर्गगज तक के पट्टे ही जारी किये जाने का प्रावधान है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के इस उज्र का विरोध करते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत ने नियमानुसार अप्रार्थीगण के कब्जेसुदा भूमि का ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 की धारा 157 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित दरों पर 300 वर्गगज क्षेत्रफल की सीमा निर्धारित की गई है। जिन मामलों में क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक है वहां जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर पट्टा होना चाहिए जो कि वर्तमान मामलें में निश्चित रूप से नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Kushal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secsretary Department Panchayati Raj, Jaipur & Ors. में वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे को निरस्त करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 – नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।"

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उसमें आवेदनकर्ता का नाम घनश्यामलाल अंकित है जबकि प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर हस्तीमल के किये हुये है। साथ ही उनके द्वारा किसी प्रकार का नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि सम्पूर्ण मिसल पूर्व से ही एक निर्धारित प्रारूप में लिखी गयी थी, जिसमें जैर निगरानी पट्टे एवं आवेदनकर्ता से सम्बन्धित जानकारी बाद में अंकित की गयी तथा मिसल की अंतिम आदेशिका जिसके द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये उस पर आदेशिका दिनांका का अंकन हीं नहीं है। आदेशिका दिनांक 21.09.2015, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश पारित किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रूपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। प्रश्नगत भूमि के नक्शे पर नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर ही नहीं है। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं, साथ ही पंचों द्वारा जो

अति. जिला कलेक्टर, पाली

मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान एक निर्धारित प्रारूप में छपे हुये है, जिसमें भी उन्होने जैर निगरानी भूखण्ड को पुश्तैनी कब्जा सुदा प्लॉट बताया है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया वह एक कार्बन कॉपी है तथा आपत्ति इश्तिहार का सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में गवाहो के केवल हस्ताक्षर अंकित है उनकी वल्दियती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। उक्त आपत्ति इश्तिहार के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। हस्तगत प्रकरण में आवेदन पत्र में नाम घनश्याम लाल अंकित है जबकि उस पर हस्ताक्षर बी. हस्तीमल के है तथा प्रश्नगत भूमि के नक्शे पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 सभी के नाम अंकित है। इसी प्रकरण मौका निरीक्षण, आपत्ति इश्तिहार एवं बयान फार्म में सम्पूर्ण कारवाई घनश्याम लाल के अनुरूप की गयी जबकि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 सभी के नाम से जारी कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सांडिया द्वारा मिसल संख्या 37/2015, संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.01.2016 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 32 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली